

Filing no. RCS-A/646/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 177 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filing no. RCS-A/646/2017

CNR no. MP30010055542017

सिविल वाद क्रमांक 177 ए/2017

संस्थित दिनांक 04.10.2017

1. राधेश्याम पुत्र गौरीशंकर, उम्र-76 वर्ष

2. प्रेमा देवी पत्नी राधेश्याम, उम्र-70 वर्ष

निवासी-ग्राम दुल्हागन, टप्पा-सुरपुरा,

तहसील-अटेर, जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदकगण/वादीगण

// बनाम //

1. संजीव उर्फ छोटे पुत्र कालीचरन, उम्र-35 वर्ष

2. भूरेलाल पुत्र कालीचरन, उम्र-45 वर्ष

निवासीगण-ग्राम दुल्हागन, टप्पा-सुरपुरा,

तहसील-अटेर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

....प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....तस्तीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री के0एन0 शर्मा।

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री ओ0पी0 शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 3 पूर्व से एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक 27 नवम्बर 2017 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. यह सिविल वाद ग्राम दुल्हागन, तहसील अटेर, जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1290 व सर्वे क्रमांक 1356 और वादपत्र के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में दर्शित गोंडा (निस्तार की भूमि) 20 x 55 फीट (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियां" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा, कब्जा वापसी, स्थायी निषेधाज्ञा व अंतवर्ती लाभ हेतु संस्थित किया गया है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियां वादीगण के स्वत्व व कब्जे की हैं, प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व नहीं है और राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हैं। वादीगण ने भूमि सर्वे क्रमांक 1290 व सर्वे क्रमांक 1356 30,000/-रूपये वार्षिक की दर से खेती हेतु दो वर्ष के लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को दे दी थी, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने दो वर्ष के लिए देय राशि 60,000/-रूपये में से केवल 19,000/-रूपये दिये और शेष राशि 41,000/-रूपये बार-बार माँगने पर भी नहीं दिया है। वादीगण ने थाना फूप में शिकायत भी की है पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और भूमि सर्वे क्रमांक 1290 व सर्वे क्रमांक 1356 का कब्जा फसल कटने के बाद वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 से ले लिया। दिनांक 02.07.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने जबरन लाठी के बल पर वादीगण के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1290 व सर्वे क्रमांक 1356 पर कब्जा कर जबरन बाजरा की फसल बो दी है और वादीगण के मकान के सामने स्थित गोंडा (निस्तार की भूमि) पर भी जबरन कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का किसी भी प्रकार से कोई स्वत्व नहीं है, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने जबरन वादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमि पर कब्जा कर बाजरे की फसल बो दी है और उक्त तथ्यों के आधार पर सिविल वाद संस्थित किया गया है। वादीगण राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमिस्वामी हैं, प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों से कोई संबंध नहीं है और प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को निषेधित किया जाये कि वे वाद के लंबनकाल तक वादीगण के कब्जा-निस्तार में हस्तक्षेप न करें, न ही करावें और शांति भंग न करें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि वादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में मौखिक करार कर विक्रय की बातचीत की थी। प्रतिवादीगण ने गवाहों के समक्ष वादीगण को प्रतिफल की राशि दी थी और वादीगण के पुत्र दिलीप के बैंक खाते में वादीगण की माँग के अनुसार रूपये भी जमा किये। वादीगण ने विक्रय के मौखिक करार के अनुशरण में रूपया प्राप्त कर विवादित भूमियों का कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को सौंप दिया था और तभी से प्रतिवादीगण मालिक के रूप में विवादित भूमियों पर खेती कर रहे हैं। दिनांक 31.03.2014 को विवादित भूमियों के विक्रय के संबंध में स्टाम्प पेपर पर लिखा-पट्टी भी हुयी, किन्तु उप रजिस्ट्रार के समक्ष वादीगण ने हस्ताक्षर नहीं किये और वादीगण के मन में बेईमानी आ गयी है। वादीगण मौखिक करार के उल्लंघन में विवादित भूमियों को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करना चाहते हैं और नजरी-नक्शा में दर्शित गोंडा (निस्तार की भूमि) पर वादीगण का कोई स्वत्व नहीं है। वास्तव में वादी राधेश्याम के भाई कृष्णमुरारी के पुत्र नीरज ने दिनांक 09.05.2009 को अपने हिस्से की भूमि व मकान विक्रय कर दिया है, उसी विक्रय के अनुशरण में अभिकथित गोंडा (फर्द जगह) भी श्रीमती विद्या देवी पत्नी रामौतार को विक्रय कर दिया गया है और प्रतिवादीगण ने गोंडा की जगह विद्या देवी से क़य कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण का गोंडा की

जगह पर कभी कोई कब्जा या स्वत्व नहीं रहा है और झूठे व मनगढ़ंत आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का कब्जा है और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के द्वारा ही खेती की जा रही है। वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:—

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 से 3 :—

6. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से जवाब में वर्णित तथ्यों के समर्थन में रमेशचन्द्र व साबिर खाँ का शपथपत्र, दिलीप के खाते में रुपये जमा करने की रसीदें, परिवाद की प्रति और नीरज कुमार द्वारा अपने हिस्से का मकान व गोंडा विद्या देवी को विक्रय करने के संबंध में शपथपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। वादीगण की ओर से भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, खसरा, खतौनी आदि की प्रमाणित प्रतियाँ व पुलिस को की गयी शिकायत की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. इस तथ्य पर सारतः कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1290 व सर्वे क्रमांक 1356 पर वादीगण का स्वत्व है और राजस्व अभिलेखों में भी वादीगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। वादीगण का यह अभिवचन है कि उन्होंने 30,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से दो वर्ष के लिए विवादित भूमियाँ खेती के प्रयोजनों हेतु प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को दी थीं, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने केवल 19,000/-रुपये दिये और शेष 41,000/-रुपये माँगने पर भी नहीं दिये। वादी क्रमांक 1 ने थाना फूप में शिकायत भी की और विवादित भूमियों पर फसल कटने के बाद वर्ष 2017 में ही विवादित भूमियों का कब्जा ले लिया।

8. आगे वादीगण का यह अभिवचन है कि दिनांक 02.07.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने जबरन लाठी के बल पर विवादित भूमियों पर कब्जा कर लिया और जबरन बाजरा की फसल भी बो दी। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का यह अभिवचन है कि वर्ष 2014 में विक्रय के मौखिक करार के अनुशरण में रुपये प्राप्त

कर वादीगण ने विवादित भूमियों का कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को सौंप दिया और बाद में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादी के पुत्र दिलीप के निर्देशानुसार रुपये बैंक खाते में भी जमा किये हैं। विक्रय का मौखिक करार या 100/-रुपये से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति के कब्जे का परिदान विधि द्वारा अनुमन्य नहीं है, वादीगण भूमिस्वामी हैं और निश्चित रूप से प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के ही पक्ष में है।

9. वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 विवादित भूमियों पर वादी के कब्जा व निस्तार में कोई हस्तक्षेप न करें और शांति भंग न करें। वादीगण द्वारा ईप्सित उक्त अनुतोष के संबंध में मुख्य अवधारणीय बिन्दु यह है कि विवादित भूमियों पर वाद संस्थित किये जाते समय वादीगण का कब्जा है या नहीं। वादपत्र के पैरा-7 में यह अभिवचन है कि दिनांक 02.07.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने जबरन लाठी के बल पर विवादित भूमियों पर कब्जा कर जबरन बाजरा की फसल बो दी है और गोंडा की जगह पर भी कब्जा कर लिया है। इस प्रकार वादपत्र के अभिवचन से ही यह प्रकट है कि विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का कब्जा है।

10. वादीगण की ओर से एस0डी0एम0 अटेर को की गयी लिखित शिकायत दिनांक 21.07.2017 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है, इस दस्तावेज में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि दिनांक 02.07.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने लाठी के बल पर जबरन विवादित भूमियों पर कब्जा कर बाजरा की फसल बो दी है, बल्कि इस लिखित शिकायत की अंतर्वस्तु के अनुसार वादीगण ने दो वर्ष पूर्व विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1290 व सर्वे क्रमांक 1356 प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को जोतने हेतु दी थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

11. वादपत्र के अभिवचन एवं वादीगण द्वारा एस0डी0एम0 अटेर को की गयी लिखित शिकायत दिनांक 21.07.2017 से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियों पर वाद संस्थित किये जाते समय वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। वादपत्र के अनुतोष खण्ड में 15,000/-रुपये वार्षिक की दर से अंतर्वर्ती लाभ भी चाहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष है और वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है। वादीगण की ओर से बलपूर्वक तर्क किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की स्थिति अतिक्रामक की है, जिनका कब्जा अवैध है और विवादित भूमियों पर वादीगण का कब्जा पुनर्स्थापित कराया जाये।

12. उल्लेखनीय है कि विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे का पुनर्स्थापन इस सिविल वाद में ईप्सित अंतिम अनुतोष है, जिसका न्यायनिर्णयन वाद के अंतिम के निराकरण के समय गुण-दोष पर ही किया जा सकता है और अंतर्वर्ती प्रक्रम पर कब्जा के पुनर्स्थापन के संबंध में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

13. वादीगण की ओर से न्यायदृष्टान्त राकेश सिंघल व अन्य बनाम पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर एवं अन्य ए0आई0आर0 1990 इलाहाबाद 12 पर विश्वास करते हुए यह तर्क किया गया है कि धारा 144 सी0पी0सी0 में पुनर्स्थापन का आदेश भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय की डिक्री या आदेश अपास्त किये जाने की दशा में पुनर्स्थापन का प्रावधान सी0पी0सी0 की धारा 144 में है, जबकि इस मामले में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं और उक्त न्यायदृष्टान्त इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण प्रयोज्य नहीं है।

14. वादीगण की ओर से एक अन्य न्यायदृष्टान्त साधुराम बनाम ग्राम पंचायत पस्ताना ए0आई0आर0 1984 पंजाब व हरियाणा 262 पर विश्वास करते हुए तर्क किया गया है कि वादीगण का कब्जा संरक्षित किया जाये। उक्त न्यायदृष्टान्त में जबरन बेदखली के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था, जबकि इस मामले में वादीगण के अभिवचन के अनुसार ही विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने कब्जा कर लिया है और कब्जा कर लेने के बाद जबरन कब्जा के विरुद्ध संरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार साधुराम वाले मामले उपरोक्त के तथ्य भी इस मामले से भिन्न हैं और न्यायदृष्टान्त इस मामले में प्रयोज्य नहीं है।

15. उक्त संपूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष यह है कि विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा खेती की जा रही है, कब्जा अतिक्रामक के रूप में होने या कब्जे की वैधानिकता का निष्कर्ष साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही दिया जा सकता है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के निराकरण के प्रक्रम पर कब्जा की वापसी का अंतिम अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि कि प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है, किन्तु 15,000/-रुपये वार्षिक अंतर्वर्ती लाभ के अनुतोष से यह प्रकट है कि वादीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है और धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष है। इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त वादीगण के पक्ष में नहीं पाया गया और वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया गया। इस आदेश का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड

(म0प्र0)

(म0प्र0)